इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 9001-2015 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 16 | अंक संख्या 6 | जनवरी, 2024 | पृष्ठों की संख्या - 10

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ 2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ 3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ 4
आर्थिक संवेष्टन 5
विदेशी मुद्रा 6
शब्दावली 7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी 7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां 7
संस्थान समाचार 7
नयी पहलकदमी 9
बाजार की खबरें 9

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति (6-8 दिसंबर, 2023) की मुख्य बातें

6 से 8 दिसंबर, 2023 तक आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक की मुख्य बातें

- पुनर्खरीद (repo) दर 6.5% पर अपरिवर्तित।
- स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर 6.25% पर कायम; सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) और बैंक दर 6.75% पर रखी गई।
- वर्तमान राजकोषीय वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का अनुमान पूर्ववर्ती 6.5% से बढ़ाकर 7% किया गया।
- वित्त वर्ष 24 के लिए ओसत खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान 5.4% पर कायम रखा गया।
- उभरते बाजार के अपने समकक्षों (peers) की तुलना में 2023 में रुपया कमतर अस्थिर और अधिक स्थिर रहा, इस प्रकार सुधरती स्थूल-आर्थिक बुनियादी बातों तथा दुर्जेय वैश्विक उत्क्षेपणों/विप्लवों के समक्ष आघात-सहनीयता (resilience) का प्रतिबिम्बन हुआ।
- भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र ही अपनी सभी विनियमित संस्थाओं (REs) के लिए एक एकीकृत विनियामक ढांचा जारी करेगा।
- 30 दिसंबर, 2023 से और उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने सप्ताहान्तों एवं छुट्टियों के दिन भी चलनिधि सुविधाओं के प्रत्यावर्तन (reversal) की अनुमति दे दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2022-23 में भारत में ''बैंकिंग की प्रवृत्तियाँ एवं प्रगति पर रिपोर्ट'' जारी की। उसकी मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- वर्ष 2022-23 में (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको (SCBs) के समेकित तुलनपत्र में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो नौ वर्षों में सर्वोच्च है। आस्ति पक्ष में इस संवृद्धि का मुख्य चालक बैंक ऋण रहा जिसमें एक दशक से अधिक की अवधि में विस्तार की सर्वाधिक तीव्र गति दर्ज हुई।
- वर्ष 2022-23 में भारतीय बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय देयताओं में विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) (FCNR (B)) जमाराशियों में वर्षानुवर्ष 28.5 प्रतिशत की वृद्धि की पृष्ठभूमि में दोहरे अंकों वाला विस्तार दर्ज हुआ।
- वर्ष 2022-23 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने अपने सुरक्षित पूंजी भंडारों (capital buffers) को सुदृढ़ किया, आस्ति की गुणवत्ता बढाई तथा पर्याप्त अनिरुद्ध (liquid) आस्तियां बनाए रखीं।
- वर्ष 2022-23 के दौरान लघु वित्त बैंकों (SFBs) को छोडकर सभी बैंक समूहों में अनर्जक आस्तियों (NPAs) की रकम में कमी आई।
- विशेषत: उन्नत अर्थवयवस्थाओं में हरित (green) बाँड़ों के प्रवर्तन में घातांकीय रूप से (exponentially) वृद्धि हुई, जबकि उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थायेँ (EMDEs) पीछे रह गई।

भारतीय रिजर्व बैंक ने निष्क्रिय खातों, अदावी बचत खातों, मीयादी जमाराशियों के संबंध में नए नियम जारी किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले उपायों के संबंध में ऐसे व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें खाते के पुनर्सक्रियन (reactivation), दावों के निपटान अथवा समापन (closure) के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधियों, जमाराशियों एवं खातों को क्रमश: अदावी (unclaimed) जमाराशियों तथा निष्क्रिय (inoperative) खातों के रूप में किस प्रकार वर्गीकृत किया जाये, इस प्रकार की जमाराशियों और निष्क्रिय खातों की आवधिक समीक्षा, अदावी जमाराशियों एवं निष्क्रिय खातों के ग्राहकों का उनके नामितियों/कानूनी वारिसों सहित पता लगाने हेतु किए जाने वाली धोखाधड़ी निवारण (fraud prevention) उपायों आदि का समावेश है। इन नए दिशानिर्देशों के अनुसार किसी खाते को ''निष्क्रिय'' के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से केवल ग्राहक प्रेरित लेनदेनों पर ही विचार किया जाएगा और बैंक प्रेरित लेनदेनों पर नहीं। एक वर्ष से अधिक की अवधि तक कोई ग्राहक प्रेरित लेनदेन न होने की स्थिति में बैंकों के लिए खातों की वार्षिक जांच करना आवश्यक होगा। यदि किसी खाते को निष्क्रिय माना गया है तो बैंकों को

आवश्यक न्यूनतम रकम बनाए रखने में असफल रहने हेतु जुर्माना लगाने की अनुमति नहीं है। निष्क्रिय खाते को पुन: सक्रिय करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं वहन करना होगा। संशोधित अनुदेश 1 अप्रैल, 2024 से लागू होंगे।

जलवायु से संबन्धित चुनौतियों से निपटने हेतु सीओपी 28 दुबई में 200 देश एक साथ आए

दुबई में आयोजित सीओपी (COP) बैठक में लगभग 200 देश एकत्रित/अभिसरित (converge) हुये, जिसमें वे एक नए जलवायु समझौते (deal) पर सहमत हुये। इस समझौते में उनसे खनिज ईंधन (fossil fuel) से परे संक्रमण करने का आह्वान किया गया है तथा विकासशील देशों की जलवायु संकट/आपदा से बचने में सहायता करने के लिए एक हानि एवं क्षति निधि (loss and damage) परिचालित की गई है। 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तिगुनी (tripling) करना तथा ऊर्जा कुशलता सुधारों की वर्तमान दर को दोगुनी (doubling) करना दो ऐसे उपाय हैं जिन पर सहभागी राष्ट्रों ने सहमति जताई है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

आंतरिक लोकपाल व्यवस्था के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेश विनियमित करने और समंजस्यपूर्ण बनाने के लिए

भारतीय रिजर्व बैंक ने आंतरिक लोकपाल (IO) के पास बढ़ती शिकायतों के लिए समय-सीमा, आंतरिक लोकपाल के पास बढ़ती शिकायतों के अपवर्जन (exclusion), आंतरिक लोकपाल के अस्थायी अभाव, आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता, रिपोर्टिंग आरूपों (formats) के अद्यतनकरण तथा उप आंतरिक लोकपाल (Deputy IO) के पद की स्थापना की शुरूआत (introduction) जैसे मामलों में एकरूपता लाने के लिए मास्टर निदेश जारी किए हैं। ये निदेश बैंकों और 10 अथवा उससे अधिक शाखाओं वाली जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs-D) और 5,000 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक के आस्ति आकार वाली जमा न स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs-ND) पर लागू होंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणों के सदाबहारीकरण को प्रतिबंधित किया

ऋणों के सदाबहारीकरण (evergreening) से पैदा होने वाली चिंताओं के निवारण के एक अभियान में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणदाताओं को किसी भी ऐसी वैकल्पिक निवेश निधि (AIF) की योजनाओं में निवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया है जिसने उस ऋणदाता के उधारकर्ता अथवा निवेश प्राप्तकर्ता की कंपनी में निवेश कर रखा हो। भारतीय रिजर्व बैंक का यह अधिदेश सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, बैंकेतर (non-bank) ऋणदाताओं तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर लागू होगा। जिन ऋणदाताओं ने इस परिधि में आने वाली वैकल्पिक निवेश निधि योजनाओं में निवेश किया है उनसे अपने निवेशों का 30 दिनों के भीतर परिसमापन करने के लिए कहा गया है। ऋणदाताओं के उनके निवेशों को निर्धारित समय-सीमा में परिसमाप्त करने में असमर्थ होने की स्थिति में उन्हें ऐसे निवेशों पर 100% का प्रावधान करना होगा।

बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण खातों में दंडात्मक प्रभारों से संबन्धित मानदंडों को कार्यान्वित करने हेतु अधिक समय मिला

भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त, 2023 में उचित ऋणदायी प्रथाएँ- ऋण खातों में दंडात्मक प्रभार पर एक ऐसा परिपत्र जारी किया था जिसके मानदंडों को 1 जनवरी, 2024 से कार्यान्वित किया जाना था। कुछेक विनियमित संस्थाओं (REs) ने अपनी आंतरिक प्रणालियों का पुनर्विन्यासन (reconfigure) करने तथा उक्त परिपत्र को परिचालन में लाने के लिए कुछ अतिरिक्त समय की मांग की थी, शीर्ष बैंक ने उन्हें इन आशोधित मानदंडों को कार्यान्वित करने हेतु 1 अप्रैल, 2024 तक के तीन माह का समय-विस्तार प्रदान किया है। विद्यमान ऋणों के मामले में नयी दंडात्मक प्रभार प्रणाली (regime) 1 अप्रैल, 2024 को या उसके बाद आने वाली आगामी समीक्षा/नवीकरण तिथि को किन्तु 30 जून, 2024 के पहले सुनिश्चित की जाएगी।

भुगतान अवसंरचना विकास निधि योजना : परिचालनात्मक समयावधि बढाई गई, प्रसार क्षेत्र व्यापक बनाया गया

भारतीय रिजर्व बैंक की भुगतान अवसंरचना विकास निधि (PIDF) योजना, जिसे जनवरी, 2021 में तीन वर्षों के लिए लागू किया गया था, को अब दिसंबर, 2025 तक दो और वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। उक्त योजना की शुरूआत टियर 3 से लेकर टियर 6 तक के केन्द्रों तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख जैसे संघ शासित क्षेत्रों में भौतिक बिक्री केंद्र (PoS)

टर्मिनलों तथा त्वरित अनुक्रिया (QR) कूटों जैसी भुगतान स्वीकृति अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। निर्धारित समयावधि को बढ़ाने के अतिरिक्त, शीर्ष बैंक ने साउंड बाक्स उपकरणों एवं आधार-समर्थित जीवसांख्यिकीय (biometric) उपकरणों सहित आर्थिक सहायता (subsidy) प्रदान करने के लिए इसके प्रसार क्षेत्र (scope) को व्यापक कर दिया है। हिताधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए सभी केन्द्रों में प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना के अधीन पात्र व्यक्तियों को भुगतान अवसंरचना विकास निधि योजना के तहत व्यापारियों के रूप में शामिल कर लिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़े शहरी सहकारी बैंकों के लिए थोक जमा सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक की

भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़े शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए थोक जमा सीमा को वर्तमान 15 लाख रुपए और उससे अधिक से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय टियर 3 में स्थित (1,000 करोड़ रुपए से अधिक तथा 10, 000 करोड़ रुपए तक की जमाराशियां रखने वाले) और टियर 4 में स्थित (10,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमाराशियाँ रखने वाले) शहरी सहकारी बैंकों के लिए लागू होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय बेंचमार्क प्रशासकों (FRAs) के लिए मानदंड संशोधित किए

समस्त वित्तीय बेंचमार्क प्रशासकों (FRAs) को शामिल करते हुये एक समग्र (holistic) जोखिम आधारित ढांचा लागू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक) निदेश, 2023 का पुनरीक्षण कर दिया गया है। तदनुसार, कोई भी वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक इन निदेशों के दायरे में भारतीय रिजर्व बैंक से प्राधिकरण प्राप्त किए बिना किसी बेंचमार्क को नियंत्रित (administer) नहीं करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी ''गैर महत्वपूर्ण बेंचमार्क'' को ''महत्वपूर्ण बेंचमार्क'' अधिसूचित किए जाने की स्थिति में उस 'गैर-महत्वपूर्ण बेंचमार्क' को नियंत्रित करने वाले वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक को इन निदेशों के अधीन उक्त अधिसूचना की तिथि से तीन माह के भीतर उस बेंचमार्क को एक ''महत्वपूर्ण बेंचमार्क'' के रूप में नियंत्रित करने का काम जारी रखने हेतु प्राधिरण की मांग करते हुये एक आवेदन करना होगा। किसी वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक को मंजूर प्राधिकरण विशिष्ट बेंचमार्क/कों को नियंत्रित करने के लिए होगा तथा उसमें उस/उन विशिष्ट बेंचमार्क/कों का संकेत निहित होगा जिसके/जिनके लिए उक्त प्राधिकरण मंजूर किया गया है। इस प्रकार का प्राधिकरण अहस्तांतरणीय (non-tranferable) होगा।

भुगतान किस प्रकार किया और प्राप्त किया जाए इस उद्देश्य से विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान की रीति) विनियम में संशोधन

भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान की रीति) विनियम, 2016 को प्रतिस्थापित करने हेतु विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान की रीति) विनियम, 2023 लागू किया है। नए विनियमों के अनुसार जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति न दी गई हो अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के अधीन अधिनियम, नियमों अथवा निदेशों द्वारा अनुमत न हो भारत में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को भुगतान नहीं कर सकता अथवा उससे भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता। भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति और भारत से बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति के बीच सभी प्राप्तियाँ और भुगतान किसी प्राधिकृत बैंक या किसी प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से किए जाने चाहिए। इनमें (क) व्यापारिक लेनदेनो एवं (ख) व्यापारिक लेनदेनों के अतिरिक्त लेनदेनो का समावेश है।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

बाजार को व्यापकता प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों को उधार देने और उधार लेने का कार्य आरंभ किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूति बाजार की गहनता एवं चलनिधि बढ़ाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) को उधार देने तथा उधार लेने का व्यवसाय आरंभ कर दिया है। केंद्रीय सरकार द्वारा जारी (खजाना बिलों को छोडकर) सभी सरकारी प्रतिभूतियाँ सरकारी प्रतिभूति उधारदाई (GSL) लेनदेन के अधीन पात्र होंगी। सरकारी प्रतिभूति उधारदाई लेनदेन किसी भी पारस्परिक रूप से सहमत क्रय-विक्रय (trade) प्रक्रिया/प्लेटफार्म द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय सहित किन्तु उन तक सीमित नहीं, भाव/उद्धरण चालित या आदेश चालित प्रक्रिया, बेनाम (anonymous) या अन्यथा विधि का उपयोग करते हुये संविदाकृत (contracted) किए जा सकते हैं। सरकारी

प्रतिभूति उधारदायी लेनदेन का न्यूनतम परिपक्वता काल (tenor) 1 दिन और अधिकतम परिपक्वता काल मंदड़िया/अधिविक्रय की स्थिति (short sale) को रक्षित करने हेतु निर्धारित अधिकतम अवधि होगा। सभी सरकारी प्रतिभूति उधारदायी लेनदेनों का निपटान सुपुर्दगी बनाम सुपुर्दगी (Delivery versus Delivery) आधार पर किया जाएगा।

घरेलू – प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक नामोद्दिष्ट कार्यप्रणाली में मूल्य एवं परिमाण की दृष्टि से डिजिटल भुगतान के पहलू का समावेश

किसी बैंक को घरेलू- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (D-SIB) के रूप में नामोद्दिष्ट किए जाने की कार्यप्रणाली को निर्धारण/मूल्यांकन में प्रतिस्थापनीयता (substitutability) संकेतक के अधीन डिजिटल भुगतान (मूल्य और उसके साथ ही परिमाण) को शामिल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित कर दिया गया है। तदनुसार, तत्काल सकल भुगतान/निपटान प्रणाली (RTGS) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (NEFT) प्रणालियों का उपयोग करते हुये रुपयों में किए गए डिजिटल भुगतानों के कुल मूल्य (75% भरिता) तथा रुपयों में किए गए भुगतानों के कुल परिमाण (25% भरिता) की तुलना में ''भारतीय रुपए में किए गए भुगतानों'' से आंकड़ा संबंधी आवश्यकता संशोधित कर दी गई है, जिसमें डिजिटल भुगतानों में कागज-आधारित (paper-based) लिखतों को छोडकर सभी भुगतानों का समावेश होगा।

कार्ड जारीकर्ता बैंकों, अन्य संस्थाओं को ग्राहक सुविधा के लिए सीओएफटी (CoFT) जारी करने की अनुमति

अब भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड जारीकर्ता बैंकों और अन्य संस्थाओं को उनके कार्ड धारकों को टोकन सृजित करवाने में समर्थ बनाने तथा अधिक सुविधा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से उसे विविध ई-वाणिज्य अनुप्रयोगों के साथ अपने विद्यमान खातों से सम्बद्ध करवाने की अनुमति दे दी है।

इस परिवर्तन से कार्ड धारकों को उनके कार्डों को एकल प्रक्रिया के माध्यम से एकाधिक व्यापारी स्थलों के लिये टोकनीकृत करवाने का एक अतिरिक्त विकल्प प्राप्त होगा। सीओएफ टोकन को मोबाइल बैंकिंग और इन्टरनेट बैंकिंग चैनलों का उपयोग करते हुये कार्ड जारीकर्ता के जरिये सृजित किया जा सकता है। कार्ड जारीकर्ता को जिनके लिए वह सेवाओं को टोकनीकृत कर सकता है उन व्यापारियों की पूर्ण सूची आवश्यक रूप से उपलब्ध करानी होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह अनिवार्य कर दिया है कि सीओएफटी (CoFT) सृजन केवल ग्राहक की स्पष्ट सहमति तथा अधिप्रमाणन (authentication) वैधीकरण के अतिरिक्त कारक के साथ ही किया जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने निवल स्थिर निधीयन अनुपात के विस्तार क्षेत्र को विस्तारित किया, भारतीय निर्यात – आयात बैंक और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तीयन एवं विकास बैंक को शामिल किया

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के साथ हाल ही में सम्पन्न पुनरीक्षण की पृष्ठभूमि में अब निवल स्थिर निधीयन अनुपात (NSFR) के परिकलन के लिए भारतीय निर्यात – आयात बैंक (EXIM Bank) और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (NaBFID) को भी राष्ट्रीय विकास बैंकों (National Development Banks) के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। एक अन्य घटना के रूप में राष्ट्रीय विकास बैंकों को एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाले भार-रहित (unencumbered) ऋण जो मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के लिए 35% या उससे कम जोखिम-भार के पात्र होंगे, उन्हें (वर्तमान में 100% के समक्ष) 65% का अपेक्षित स्थिर निधीयन (RSF) कारक प्रदान किया जाएगा।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी अर्द्ध वार्षिक आर्थिक समीक्षा 2023-24 की मुख्य बातें

- 2री तिमाही में 7.6% की वृद्धि के बाद वित्त वर्ष 24 की 1ली छमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- वित्त वर्ष 24 की अप्रैल- अक्तूबर वाली छमाही में केंद्र का पूंजीगत व्यय (capex) पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 33.7 प्रतिशत बढ़ा।

- वित्त वर्ष 24 की 1ली छमाही में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में भी 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- वित्त वर्ष 24 की 1ली छमाही के दौरान तिजारती (merchandise) निर्यात में 8.8 प्रतिशत का संकुचन हुआ।
- वित्त वर्ष 24 की 1ली छमाही के दौरान भारत के सेवा निर्यात का कार्य-निष्पादन अच्छा होने का क्रम जारी रहा, जो वित्त वर्ष 23 की 1ली छमाही के मुक़ाबले धनात्मक रूप से बढ़ा। यह वृद्धि प्राथमिक तौर पर साफ्टवेयर एवं व्यावसायिक सेवाओं द्वारा चालित रही।
- वित्त वर्ष 24 की 1ली छमाही में भारत को हुये सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) अंतर्वाह वर्षानुवर्ष 15.9 प्रतिशत कमतर रहे।
- अप्रैल-अक्तूबर 2023 की अवधि में सरकार के निवल कर राजस्व में वर्षानुवर्ष 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिससे वह बढ़कर 13 लाख करोड़ रुपए हो गया।
- 1ली छमाही में हुए प्रत्यावर्तन (repatriation) को घटाकर भारत में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाहों में वैश्विक स्वरूप के अनुरूप गिरवट आई।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अभिदान (subscription) आधार में भारी वृद्धि से प्राप्त संकेत के अनुसार औपचारिक क्षेत्र/सेक्टर के रोजगार में सुदृढ़ वृद्धि परिलक्षित हुई।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	22 दिसम्बर, 2023 के दिन करोड रुपए	22 दिसम्बर, 2023 के दिन मिलियन अमरीकी डालर	विगत 6 महीनों की विदेशी मुद्रा का रुझान
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	5158895	620441	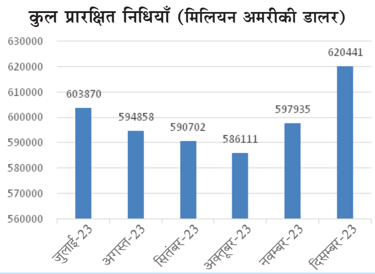
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4571034	549747	
1.2 सोना	394739	47474	
1.3 विशेष आहरण अधिकार	152383	18327	
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	40739	4894	

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

जनवरी, 2024 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की आधार दरें

मुद्रा	दर
अमरीकी डालर	5.39
जीबीपी	5.1863
यूरो	3.90
जापानी येन	-0.013
कनाडाई डालर	5.0300
आस्ट्रेलियाई डालर	4.35
स्विस फ्रैंक	1.701535

मुद्रा	दर
न्यूजीलैंड डालर	5.50
स्वीडिस क्रोन	3.897
सिगापुर डालर	3.4443
हांगकांग डालर	3.96772
म्यांमार रुपया	3.00
डैनिश क्रोन	3.5150

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

ऋणों का सदाबहारीकरण

सदाबहारीकरण (evergreening) से तात्पर्य है अपचारी (delinquent) उधारकर्ताओं को मौजूदा ऋणों को चुकाने के लिए और अधिक ऋण लेने की अनुमति देकर अशोध्य (bad) ऋणों की वास्तविक मात्रा को छिपाने की अनुचित प्रथा। चूंकि ऋणों के सदाबहारीकरण/ उनके सतत बने रहने से ऋण दबाव छिप जाता है, यह विनियमित संस्थाओं (REs) द्वारा दबाव की पहचान करने और इसलिए उसके समय पर समाधान (resolution) को विलंबित कर देता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

लागत स्फीति सूचकांक

लागत स्फीति सूचकांक (CII) का उपयोग माल एवं आस्तियों की कीमतों में मुद्रास्फीति के कारण वर्षानुवर्ष वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। पूंजीगत निवेशों की लागत मुद्रास्फीति के प्रभाव हेतु खाते के सूचीकरण (indexation) के जरिये समायोजित की जाती है। सूचीकरण लागत को परिकलित करने का सूत्र (formula) है (विक्री वर्ष के लिए सूचकांक/ अभिग्रहण के वर्ष में सूचकांक) x अभिग्रहण लागत।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जनवरी, 2024 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
ऋण निगरानी एवं वसूली पर कार्यक्रम	9 से 11 जनवरी, 2024	प्रौद्योगिकी पर आधारित
सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा पर कार्यक्रम	10 से 11 जनवरी, 2024	
वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र हेतु परीक्षोपरांत प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से प्रशिक्षण	10 से 12 जनवरी, 2024	

संस्थान समाचार

''जलवायु वित्त रणनीतियों और बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटन'' पर वेबिनार

संस्थान विचार करने पर मजबूर करने वाले और सम-सामयिक विषय ''जलवायु वित्त रणनीतियों और बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटन'' पर एक पैनल विचार-विमर्श के रूप में एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है। उक्त वेबिनार 18 जनवरी, 2024 को अपरान्ह 3.00 बजे से 4.15 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस वेबिनार के लिए प्रतिष्ठित वक्तागण होंगे श्री राजेश मिगलानी, वरिष्ठ जलवायु व्यवसाय विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक समूह, श्री आलोक कुमार चौधरी, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक। इस वेबिनार का उद्देश्य जलवायु जोखिम न्यूनीकरण तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।

13वां आर॰ के॰ तलवार स्मारक व्याख्यान

भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से आयोजित होने वाला 13वां आर॰ के॰ तलवार स्मारक व्याख्यान 16 फरवरी, 2024 को भारतीय स्टेट बैंक सभागृह, नरीमन प्वाइंट, मुंबई में सम्पन्न होगा। उक्त व्याख्यान डा॰ अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा।

अंतर-बैंक प्रश्नमंच प्रतियोगिता - बैंकिंग चाणक्य का 3रा संस्करण

अंतर-बैंक प्रश्नमंच प्रतियोगिता – बैंकिंग चाणक्य 2023 का 3रा संस्करण 25 सितंबर, 2023 से सफलतापूर्वक प्रारम्भ हुआ। आनलाइन प्रारम्भिक और उपांत-पूर्व (quarter final) फेरी के समावेश वाले इस आयोजन का प्रथम चरण सितंबर- अक्तूबर, 2023 माह के दौरान पूरा हो गया। अंचलीय उपांत्य फेरियां प्रगति पर हैं। राष्ट्रीय अंतिम फेरी (finale) का आयोजन 20 जनवरी, 2024 को कारपोरेट कार्यालय मुंबई में किया जाएगा, जो अंचलीय विजेताओं (champions) के बीच होगी। इसके संबंध में और अधिक अद्यतन जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट https://www.iibfbankingchanakya.com देखें।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स - अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने संयुक्त रूप से जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की शुरूआत की

संस्थान ने जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के साथ एक करार कर रखा है। उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भिक एवं उन्नत दो भागों में विभाजित है। प्रारम्भिक पाठ्यक्रम की शुरूआत 23 मई, 2023 को सेंट रेगिस हाल, मुंबई में की गई। उन्नत पाठ्यक्रम की शुरूआत शीघ्र ही की जाएगी। यह पाठ्यक्रम आत्म-संगामी ई-शिक्षण (e-learning) के रूप में है जिसमें 4-6 घंटों के शिक्षण के उपरांत एक मूल्यांकन सत्र आयोजित किया जाता है। पाठ्यक्रम की सफल पूर्णाहुति पर इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा स्थूल शोध 2023-24 के लिए प्रस्ताव आमंत्रित

संस्थान ऐसे अनुभव-सिद्ध शोध को प्रोत्साहित करता है जिसमें शोधकर्तागण (प्राथमिक/गौण) आंकड़ों के माध्यम से अपनी उस परिकल्पना की जांच कर सकते हैं जिससे सम्पूर्ण उद्योग (बैंकिंग एवं वित्त) के लिए सबक लिए जा सकते हैं। इस संबंध में संस्थान वर्ष 2023-24 के लिए स्थूल शोध प्रस्ताव आमंत्रित करता है। आवेदनों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2024 है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा सूक्ष्म शोध 2023-24 के लिए प्रस्ताव आमंत्रित

संस्थान सूक्ष्म शोध 2023-24 के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। सूक्ष्म शोध संस्थान के सदस्यों (बैंकरों) के लिए अपने मौलिक विचारों, मतों तथा उनकी रुचि के क्षेत्रों के संबंध में उत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत करने हेतु एक निबंध प्रतियोगिता की भांति होता है। यह प्रतियोगिता इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के उन आजीवन सदस्यों के लिए है जो वर्तमान में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में कार्यरत हैं। आवेदनों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2024 है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए हीरक जयंती और सी. एच. भाभा बैंकिंग ओवरसीज शोध फ़ेलोशिप (DJCHBBORF) के लिए आवेदन आमंत्रित

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स हीरक जयंती और सी॰ एच॰ भाभा बैंकिंग ओवरसीज शोध फ़ेलोशिप (DJCHBBORF) योजना के तहत आवेदन आमंत्रित करता है। इस फ़ेलोशिप का उद्देश्य सफल अभ्यर्थी को बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में अद्यतन घटनाओं पर भारत अथवा विदेशों में शोध अध्ययन करने का अवसर प्रदान करना है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2024 है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

जनवरी - मार्च, 2024 तिमाही के लिए बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: "Leveraging technology for effective credit appraisal."

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने–आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/ दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं।

इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) सस्थान द्वारा सितम्बर, 2023 से फरवरी, 2024 की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2023 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii)संस्थान द्वारा मार्च, 2024 से अगस्त, 2024 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2023 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

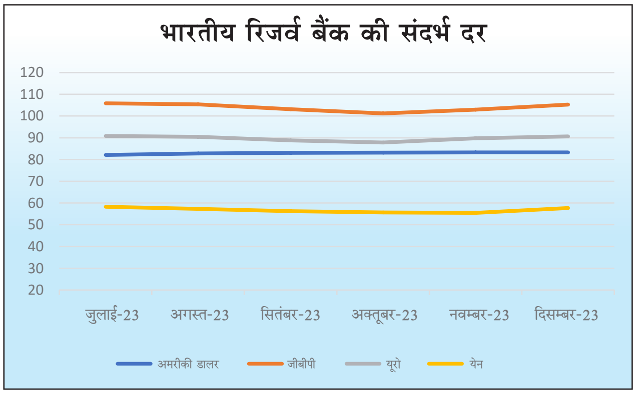

स्रोत: एफबीआईएल

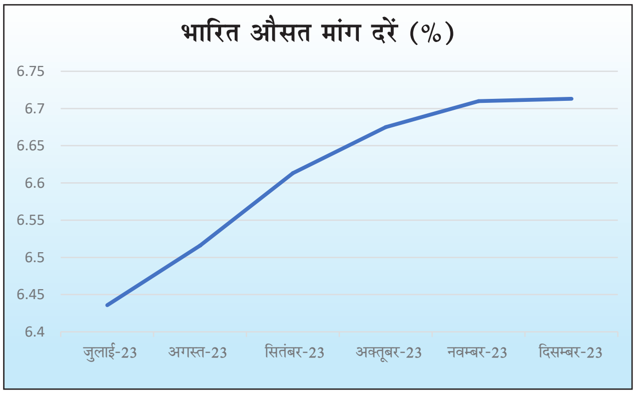

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

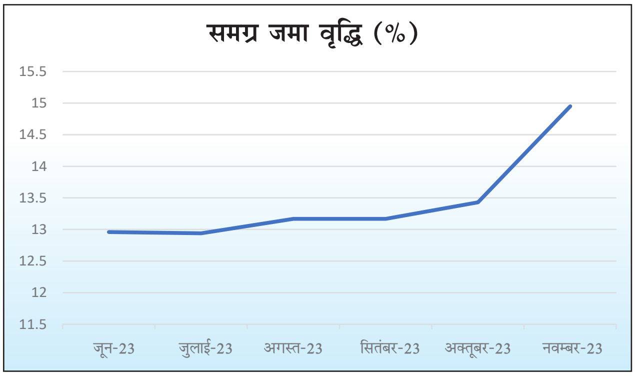

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, दिसम्बर, 2023

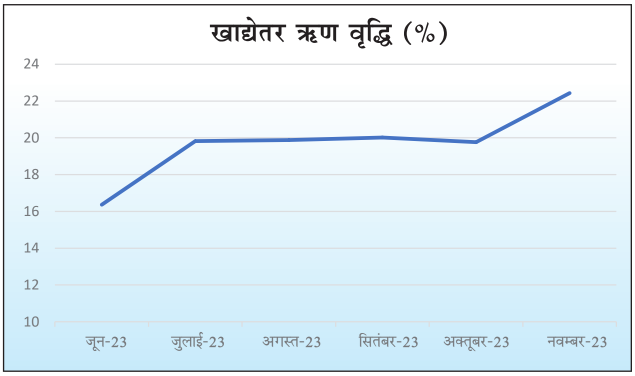

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, दिसम्बर, 2023

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

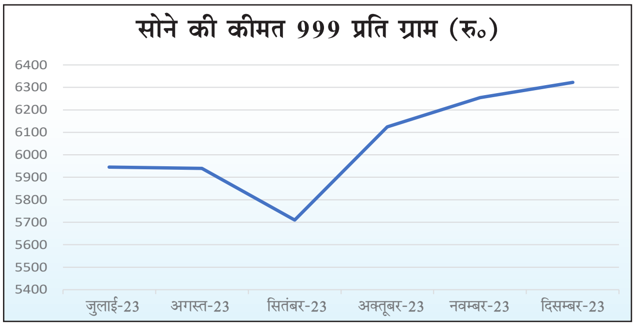

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

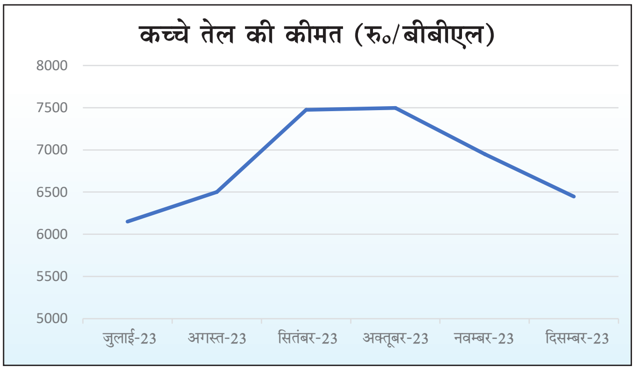

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

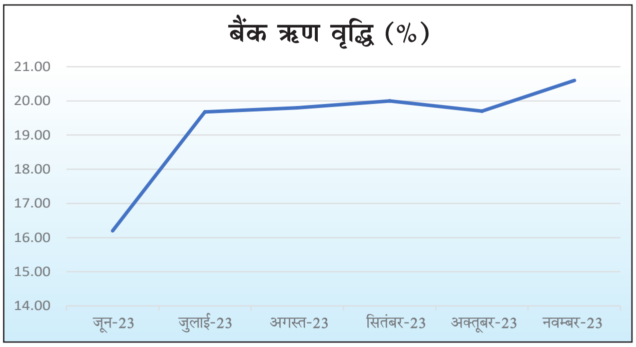

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

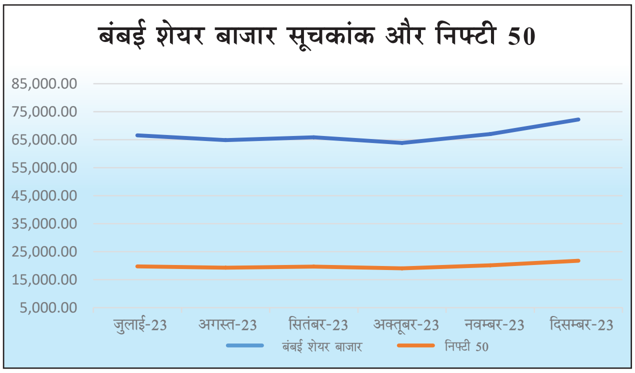

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W),
Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in